कार्यसूची, मुंबई के लिये

शारदा द्विवेदी

राहुल मेहरोत्रा और मैं ‘बाम्बे दी सिटीज् विदिन’ के लिये शोध और लेखन कार्य कर रहे थे। हम सैकड़ो फोटो ग्राफस का अध्ययन कर रहे थे कि उस समय बरबस एक प्रश्न हमारे सामने उठ खड़ा हुआ कि इस सुप्रसिध्द, शानदार और सुन्दर नगर को, जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने कभी बड़े प्यार से, मेरे लिये शहरों की माँ कहा था, केवल कुछ ही दशकों मे यह क्या हो गया है? कुछ उत्तर तो बिल्कुल स्पष्ट थे और अन्य उतने साफ नहीं थे। एक स्पष्टीकरण जो बिल्कुल साफ था वह यहा था कि, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और नगर-योजनाकोएं व्दारा बनाई गईं बहुत सी दूरदर्शी योजनांए पड़ी हुई धूल चाटती रह गयी हैं, क्यों कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने हर कदम पर शहर को नीचा दिखलाया, हर विवेकपूर्ण विकास योजना का विरोध किया, और उसमें बाधा डाली है।

शहर अब असंख्य समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनका समाधान ढूंडने जाओ तो वे बार फिर उठ खड़ी होती हैं। विबाश की शुरुवात तो तभी हो गयी थी जब नरीमन पांइट और कफपरेड में अंधाधुंध रिक्लेमेशन कार्य मध्य 1960 से प्रारंभ हुआ था और यह तब हो रहा था जब कि न्यू-बाम्बे के विकास के प्रस्ताव भी थे जिनके अनुसार व्दीप-नगर में कोई और नयी वृध्दि की अनुमति नहीं दी जाना थी। बिल्डर्स और राजनेताओं के मध्य उजागर गठबन्धन ने शहर को किफायती धरों से वंचित रख छोड़ा है, यह स्पष्ट हो गया है और खुला भ्रष्टाचार सामान्य चलन हो गया है। फिर आयी, नागरिक इनफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे पर स्थायी टूटन और मशरुम की तरह बढ़ते हुए स्लम्स् को राजनैतिक प्रोत्साहन की प्राप्ति (वोट -बैंक के रुप में) जो आज भी जारी है। साथ ही साथ शहर में, बिना किसी बाधा के लगातार आने वाले माइग्रेन्ट्स की बाढ़ के कारण जनसंख्या में कभी न रुकने वाली वृध्दि हो रही है साथ ही शहर की वृध्दि और विकास के लिये किसी भी विवेकपूर्ण स्कीम में राजनीतिज्ञों व्दारा कड़ा हस्तक्षेप और विरोध किया जाता है। यह बड़ी शर्म की बात है कि आजादी के 60 वर्षों बाद भी,इस शहर के 60प्रतिशत लोग फुटपाथों और स्लम्स् में रह रहे हैं और उनमें से बहुतों को तो, निहित-स्वार्थों व्दारा समय के साथ नियमित करार दे दिया गया है।

ऐसी समस्याओं के हल के लिये अब जरुरत है एक एकीक्रत मास्टर डवलपमेन्ट प्लान की,जिसे कानून का स्वरुप दिया जाय ताकि वह सनकी-परिवर्तनों का शिकार न बन सके। संपूर्ण आयलेंड सिटी और महानगर क्षेत्र को ध्यान मे रखते हुए, सभी समस्याओं पर ईमानदारी से विचार करके प्लान बनाया जाना चाहिये। प्लान टुकड़े टुकड़े में विकास की अनुमति नहीं देगा। जैसे उदाहरण के लिये अगर केवल आयलेंड-सिटी में मिल भूमि,पूर्वीसमुद्री किनारे की भूमि पोर्टट्रस्ट सहित, रेल्वे, म्यूनिसिपल भूमियां और साल्ट-पेन्स के भिन्न भिन्न मामले हैं तो उन्हे सामूहिक रुप में देखा जाएगा। सब के लिये एक और उसी ढांचे पर बना प्लान लागू हो सकेगा। जिसके अंतर्गत न केवल स्लमवासियों और निम्न मध्यम वर्गीय गुटों के लिये जरुरी एफोर्डेबल घरो का निमार्ण वल्कि उस क्षेत्र कि अति अनिवार्य पुननिर्मिति करना भी शामिल होगा। शहर की उत्तर-दक्षिण धुरियों की रेखा पर रोज होने वाले आवागमन पर से फोकस को बदलकर एक अधिक व्यावहारिक प्रस्ताव, घर के पास ही रोजगार की अधिक संभावनाओं पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

एफोर्डेबल घरों के प्रावधान को अरबन लेंड सीलिंग एक्ट जैसे बाधक और अनावश्यक कानूनों को रद्द करने से जोड़ा जाना चाहिये। साथ ही साथ वोट-बैंक की नीति से समर्थित स्लम्स के बार बार पुनर्निण की समस्या को सुलझाना चाहिये। यह अनिवार्य है कि राजनैतिक शक्यियों के हस्तक्षेप के मामले को असरदार तरीके से सुलझाया जाए। किसी भी तरह के अवैध-कब्जा करने वालों को कानूनन मताधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिये और हर सुविधा उन्हे नकार दी जाना चाहिये।

यद्यपि बिल्डर्स के समूह (जिनके सम्बंध राजनैतिक शक्तियों से हैं और जिन्हे तोड़ा जाना चाहिये।),यह दावा करने हैं कि आयलैंड सिटी में पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमें याद रखना चाहिये कि सिवाय नई इलेक्ट्रिसिटी,टेलीफोन टेलीकाम, और केबल टी.वी. लाइन्स के, हम अभी भी ब्रिटिशकाल में, आजादी से पहले बनाई हुई ड्रेनेज और पानी की व्यवस्था पर जी रहे हैं। इनफ्रास्ट्रक्चर को अधिक शक्तिशाली बनाना हमारी सबसे अनिवार्य प्राथमिकता है। हमारे पास अपनी जरुरत के मुताबिक पर्याप्त पानी और बिजली नहीं है, सार्वजनिक शौचालय गंदे हैं, उनका रखरखाव ठीक नहीं है और संख्या बिल्कुल ही अदर्याप्त है।

बहुसंख्य जनता के लिये बेहतर सार्वजनिक यातायात का प्रावधान और अधिक विलम्बित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत अधिक रेले, बसें और समुद्री-सेवाएं शामिल हैं और सप्लीमेन्ट्री ट्रान्सपोर्ट, जैसे कि व्यस्त क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक मिनी-बसें लगातार सर्क्यूलड मार्ग पर चलती रहें। इसमें पूर्व से पश्चिम के बरामदे पर अपेक्षित ध्यान केन्द्रित करना है। निजी वाहनों का उपयोग न करने के लिये प्रलोभन और दंडनीय पार्किंग के रेट्स भी कानूनन निश्चित करना चाहिये विशेषकर आयलेंड सिटी के सी बी डीज् में।

और अंतिम पर कम महत्वपूर्ण नहीं,हमें और अधिक बिना अवैध-कब्जों के बगीचे और खुली जगहें चाहिये, और अधिक म्यूझियम्स, जिनमें शहर के अनोखे इतिहास की झलकियां दिखलाई जावें, मेरीटाइम पोर्ट एक्टीविटीज, नाट्य-गृह, सिनेमा, टेक्सटाइल, कला और संस्कृति,हमारी भविष्य की पीढ़ीयों के लिये हमारे निर्मित और सांस्कृतिक हेरीटेज का संरक्षण और जीर्णोव्दार,साथ ही परफार्मिंग और प्लास्टिक आर्टस्,पुस्तकें, पांडूलिपियां, कलाकृतियां, या एंटीक्स समान महत्व की हैं।

यदि बाम्बे को अर्बूस प्राइमा इन इंडीस भारत के प्रथम नगर के रुप में द्रष्टिगोचर होना है तो ऐसे विचारों को वास्तविकता में बदलने की इच्छा प्रदर्शित करना जरुरी है और यह इच्छा प्रदर्शन केवल राजनीतिज्ञों और नौकर शाहों व्दारा ही नहीं वल्कि जो अधिक महत्वपूर्ण है इसके नागरिकों के व्दारा किया जाना चाहिये। अब जो उत्साह वर्धक तथ्य है वह यहां कि बहुत से एन जी ओज् ग्रेटिस लीगल एड; दी राइट टू इनफार्मेशन एक्ट का लाभ उठा रहे है और समय पर

व सही मेडिया कवरेज के कारण उत्तरदायत्व की यांग बढ़ी है। जो पावर में हैं उनके व्दारा भ्रष्टाचार और कानून को झुकाने के विरुध्द सफल जनहित याचिका व्दारा कोर्ट में जाने का मार्ग खुला है।

वोट मुंबई

(नगरपालिका प्रशासन में सुधारों हेतु मुंबई अभियान)

-अभियान का अधिकार पत्र-

वोट मुंबई क्या है ?

वोट मुंबई मुंबई और मुंबई महानगरीय क्षेत्र के सम्बंधित व्यक्तियों तथा नागरी-सामाजिक संगठनों का एक निष्पक्ष लोक अभियान है। इसका उद्देश्य है कि नागरिकों में, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन व्यवस्था में उत्पन्न खतरे की स्थिति का सामना करने के लिये, यथाक्रम सुधारों के साथ अभिप्रायपूर्ण प्रगति की आवश्यकता के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना। वोट मुंबई नागरिकों के सहभाग के लिये आवश्यक मंच और असरदार टूल्स प्रदान करता है।

वोट मुंबई किसी राजनैतिक पार्टी से सम्बध्द नहीं है।

वोटमुंबई क्यों ?

किसी भी स्वस्थ्य प्रजातंत्र के ह्दय में बसते हैं उसके नागरिक। पर हमारे देश में तो ज्यादा तर साधारण-व्यक्ति शक्तिविहीन और हाशिये पर रहने वाला होता है। उसके अधिकारों तक उसकी बहुत कम पहुँच होती है और उसे संस्थागत सहयोग भी कम मिलता है। कानूनी मदत के रास्ते तो है ही लम्बें कष्टप्रद और उबादेने वाले। अब अगर उसके पास पर्याप्त पैसा और सिफारिश नहीं है तो न्याय मिलने की उम्मीद कम ही होगी। परिणाम स्वरुप सामान्य नागरिक का विश्वास प्रजातंत्र मे से हिल जाता है। व्यंग से कहें तो, यहा तक कि राजनीतिज्ञों का भी, जो प्रजातंत्र के एंजिन कहे जाते हैं, ताकत के नशे में और भ्रष्टाचार के अंधेरे में, विश्वास खो बैठतों हैं। सच पूछो तो यह सिस्टम मकड़ी के एक जाले की तरह हो गया है। इसके बाहर जो हैं वे न अन्दर आसकते हैं और न आना चाहते हैं और जो इसके अन्दर हैं,लगता है कि उन्हे नहीं मालुम कि कैसे बाहर आया जा सकता है और हरके गुट एक दूसरे को खुली शंका से देखते हैं।

फिर भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। प्रजातंत्र की सभी बुराइयों के बावजूद हमारे देस में स्वतंत्रता की भावना बहुत मजबुत और शक्तिशाली है। हमारी आधीसे अधिक जनसंख्या युवास है, उत्साहपूर्ण है और ऐसे अवसरों की तलाश में रहती है कि जिससे अपने लोगों की हालत सुधरे और ऊँची उठे। हमारे देश के कोने कोने में ऐसे व्यक्ति और संस्थाएँ हैं जो गुपचुप और तत्परता से अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में भरसक जुटे हुए हैं। वे लाखों लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, संभवत: घर की याद से सताये जाने से या फिर सेवा भावना से, उस देस को, जिसे वे अपना देश कहते हैं, यथाशक्ति कुछ वापस देना चाहते हैं। मुंबई नगर पालिका की प्रशासकींय समस्याओं के कुछ मूल कारणों का पता लगा कर,हम उन सभी लोगों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। वोट मुंबई का प्रयास है कि इन सभी समूहों और व्यक्तिओं को एक सक्रीय मंच पर एकत्रित किया जाय, जहां से कि वे अपने आपको परिवर्तन की एक शक्तिशाली आवाज में बदल सकें। क्या हम इस तरह एक साथ आकर परिवर्तन की एक बुलंड आवाज नहीं बन सकते, बजाय इसके कि अलग अलग अंधेरे में अपनी अपनी परस्पर विरोधी सीटियां बजाते रहें? वोट मुंबई के पीछे बस यही एक भावना है।

- इसे ठीक करने का समय

प्रस्तावना

मुंबई शहर की समस्याएँ,ग्रामीण-भारत के विकास के अंतर्गत होने वाले घटिया और अल्पकालिक शहरी व्यवस्थापन का एक विशिष्ट नमूना है। परिणाम स्वरुप बेरोकटोक होने वाला माइग्रेशन है। सवा करोड़ से अधिक आबादी वाले इस शहर का हर व्यक्ति दबाब की जिन्दगी

जी रहा है और कष्ट उठा रहा है। इसलिये यह बहुत जरुरी है कि हालात सुधारने के लिये तुरंत ही सफल समाधान ढूंडे जांय। 26 जुलाई 2005 की घटनाओंने यह पुष्टि की थी कि यहां प्रशासन चलाने के सिस्टम में अवश्य ही कुछ गंभीर रुप से गलत है और सिस्टम को अनिवार्यरुप से सुधारने और संशोधन करने की जरुरत है। सिस्टम में कार्यकारी-अधिकारियों को जबाबदार और उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये। वोट मुंबई अभियान का प्रतिज्ञाबध्द उद्देश्य ही यह है कि प्रशासन चलाते की पध्दति में यथाक्रम-सुधारों के लिये एक जोरदार अभियान चलाया जाना चाहिये जिससे कि भविष्य में (i) 26 जुलाई की पुनरावृत्ति की संभावना न रहे, या फिर इसके स्थान पर (ii) ऐसी अनोखी घटनाओं के कारण होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जाय। ऐसा करने का मार्ग एक ही है कि सावधानी पूर्वक सिस्टम के मूल ढांचे का परीक्षण किया जाय, महानगर पालिका के कानून के अंतर्गत डवलपमेन्ट प्लान की निर्मिति, पुनर्वेक्षण और सुधारीकरण करने का प्रकार और तरीका निश्चित किया जाय।

कमिश्नरेट सिस्टम अंग्रेजों व्दारा स्थापित किया गया और उसमें अनेक समस्याएँ थी जिन्हे आज भी शहर सहन कर रहा है। इस सिस्टम को पूरी तरह से अधिकार सम्पन्न नहीं माना जाता क्योंकि कमिश्नर की नियुक्ति उसके कार्य का मूल्यांकन तथा सेवा काल राज्य सरकार के हाथ में रहता है। समय के दौरान यह देखा गया है कि राज्य सरकार ने नगरपालिका के प्रशासन-कार्य में अधिक से अधिक भाग लेना आरंभ कर दिया या तो सीधे ही या अर्धसरकारी इकाइयो के निर्माण व्दारा। प्रशासन के इस स्तर को अपने काम आप करने की वैसी ही स्वतंत्रता होना चाहिये जैसी कि राज्यसरकार और केन्द्रीय सरकार के सम्बंधो के बीच है। यह तभी संभव है जब इस स्तर की कार्यकारिणी भी, राज्य और केन्द्र सरकारों की तरह ही चुनाव जीत कर आये।

इसलिये हम विश्वास करते हैं कि:-

1) प्रजातंत्र का पर्याय मात्र एक बेहतर प्रजातंत्र है।

2) भारतीय विधान की आत्मा तीन श्रेणी की पूर्ण अधिकार-संचल सरकारं प्रदान करती है।

3) सत्य और तर्कों पर आधारित, चर्चायुक्त संवाद प्रक्रिया सफल समाधान प्रदान करती है।

4) हमें एक ऐसी स्थानीय शहरी सरकार के नमूने की, मुंबई नगर पालिका प्रशासन के सन्दर्भ में जरुरत है,जो सरकार की तीसरी श्रेणी है और जो निम्न पैमानों को संतुष्ट करती है।

अ) अपने प्रदेश के कार्यक्षेत्र में,पूर्ण रुप से अधिकार संपन्न
   (अ) भविष्य का नगर-नियोजन बनाने और उसे लागू करने का कार्य
   (ब) नियम बनानें के कार्य
   (स) सेवा प्रदान करने के कार्य

ब) अपने ग्राहकों (यहाँ-नागरिकों) के प्रति सीधा उत्तरदायत्व।

5) हमारे पास शासन चलाने के निम्नांकित पांच पर्याय है और सरकार के प्रत्येक नमुने की उपरोक्त दोनो कसोरियों पर परखा गया है।

अ) मुंबई एक केन्द्रीय प्रदेस की तरह

ब) मुंबई एक राज्य

स) कमिश्नरेट सिस्टम

द) काडंसिल-सिस्टम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रुप से चुना हया मेयर (एम आय सी)

ई) मेयर का सीधा चुनाव सिस्टम
   (अ) प्रथम दो पर्यायों की संभावना नहीं है क्यों कि वे तीन श्रेणी की सरकार नहीं होने से असंवैधानिक हैं।
   (ब) कमिश्नरेट सिस्टम अंग्रेजो व्दारा स्थापित किया गया था। उसमें अनेक समस्याएँ थी जिन्हे आज भी हम देख रहे हैं।
   यह सिस्टम पूरी तरह से अधिकार संपन्न नहीं

समझा जाता क्यों कि कमिश्नर की नियुक्ति,उसके कार्य का आकलन और सेवा काल की अवधि राज्यसरकार के हाथ में रहती है। समय के साथ यह देखा गया है कि राज्य सरकार ने नगर पालिका के प्रशासन कार्य में अधिक से अधिक भाग लेना आरंभ कर दिया या सीधे ही या अर्धसरकारी इकाइयों के निर्माण व्दारा। शासन की इस श्रेणी को भी अपने कार्यों में स्वतंत्र होना चाहिये, वैसा ही जैसी कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच है। यह तभी संभव है जब इस श्रेणी की कार्य कारिणी भी राज्य और केन्द्रीय सरकारों की तरह चुनाव जीत कर आये। कमिश्नरेट सिस्टम भी प्रजातंत्र के शासन की तीसरी श्रेणी के प्रति कसोटी पर खरा नहीं उतरता। यह इसलिये भी खरा नहीं उतरता कि ग्राहकों (नागरिकों) के प्रति यह सीधा उत्तरदायी नहीं है।

(स) इसलिये अब केवल दो अंतिम सिस्टम ही बच रहते हैं, दोनों तीसरी श्रेणी के प्रजातंत्र की कसोटी पर खरे उतरते हैं। सीधे चुने गये मेयर सिस्टम में मेयर ग्राहकों (नागरिकों) के प्रति सीधा उत्तरदायी होता है,जबकि राज्य सरकार के अधिपत्य को नगर पालिका प्रशासनपरे उसी तरह कायम रखा जाता है जिस तरह से कि राज्य पर केन्द्रसरकार अधिपत्य रखती है। सीधे चुने गये मेयर सिस्टम की एक समस्या यह है कि सर्वाधिकार-संपन्न मेयर के तानशाह बनने का खतरा रहता है। सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए हम मुंबई के नागरिको ने यह निर्णय लिया है कि समुचित रोक-धाम और संतुलन सहित निम्न विस्तृत-कार्यक्रम निश्चित किया जाय।

अ: मुंबई नगर-सम्बंधी शासन कार्य की रुप-रेखा :

1) सिटी मेयर,सीधे चुना गया पूर्ण अधिकार संपन्न कार्यकारी; साथ में कमिश्नर, सी. ओ. ओ.की तरह मेयर के निर्देशन के नीचे।
2) हरेक काउन्सलर वार्डस् के लिये नगरसेवक की अध्यक्षता में वार्ड समीतियां (ग्राम पंचायत के समकक्ष) हर पोलिंग बूथ के रजिस्टर्ड वोटर्स व्दारा चुनी जाएगीं, जो अपने को वैध संस्था के रुप में गठित करेरों जिसे एरिया-सभा कहा जायगा जो अपना प्रतिनिधि चुनेगी और उस प्रतिनिधि पर नियत्रंण रख कर उसे उत्तरदायी बना सकेगी। उस क्षेत्र के व्यावसायिक /व्यापारिक हितों को भी एक निश्चित संस्था में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायगा।
3) पोलिंग बूथ के क्रम अनुसार एरिया सभाएें (ग्रामसभाओ के समकक्ष)
4) वापस बुलाने का अधिकार।
5) व्यावहारिक और यथासंभव बंटवारा कार्यों / धनकोष / कार्यकत्ताओं का
6) आम्बड्समेन (थोड़े)
7) प्रकटीकरण के नियम
8) नागरिक कार्यक्रमों को बनाने हेतु कानुनी प्रावधान दंडव्यवस्था सहित
9) विभिन्न सेवाओं के बैनचमार्किन्ग की पुष्टी के लिये समुचित लेखा -पेकेज।
10) आपदकालीन-व्यवस्थापनसमिति
11) म्यूनिसिपल अकाउंट्स समिति
12) म्यूनिसिपल नगर नियोजन समिती
13) अन्यकार्यों सम्बंधी समितियां
14) स्वतंत्र आउट-साइड आडीटर्स
15) एरियासभा और वार्ड समिति के सदस्यों हेतु क्षमता निर्माण- कार्यक्रम के लिये संस्थाएँ स्थापित करने के लिये कानूनी प्रावधान ब: क्षेत्रीय विकास योजना (वियो),

शहर विकास योजना (श वियो), और इलक्टोरल वार्ड प्लान (ई डब्लू पी) प्रकिया की रुपरेखा.

1) महानगरीय योजना समिति (म यो स) लेटर और स्प्रिट में जैसा कि भारत के संविधान में प्रावधान है।

2) मयोस प्रजातांत्रिक होगी और उसमें सभी स्थानीय सरकारों का जो महानगरीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं प्रतिनिधत्व होगा।

3) मयोस की भूमिका होगी, नियोजन, संयोजक, मध्यस्थ, नियामकडेटा जनरेशन और डेटामेनटेनेन्स की।

4) विकास नियोजन दोतरफा विचार विमर्श और संस्थागत प्रकिया के व्दारा होगा, जो मयोस स्थानीय सरकार (बी एम सी का शहर योजना विभाग), वार्ड समितियों, एरिया सभाओं के बीच होगा।

5) उपरोत्क भूमिका अदा करने के हेतु मयोस के पास आवश्यक यंत्रणा होगी।

6) एक एकीक्रत यातायात अधिकरण ; उस क्षेत्र के लिये मयोस के अंतर्गत एक यातायात-नोयोजक,-संयोजक,-मध्यस्थ,- नियामक-डेटाजनरेशन और डेटा मेनटेनेन्स का कार्य करेगा।

उपरोत्तक परिभाषित कार्यक्रम मर्यादित नहीं है, उसे और आगे विस्तृत और विकसित किया जा सकता है, जैसा कि इस अभियान में परिलाक्षित किया गया है कि परिचर्चा प्रक्रिया के व्दारा प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है जिससे कि वह शहर और महानगरिय क्षेत्र की अधिक संतुलित, स्थायी, मैत्रीपूर्ण पर्यावरण व वातावरण की वृध्दि करे।

अभियान के लिये मार्गदर्शक नक्शा :

1 एडवोकेसी विथ - (से वकालत)

1) सभी पार्टीयों का केन्द्रीय राजनैतिक नेतृत्व

2) सभी पार्टीयों का राज्य का राजनैतिक नेतृत्व

3) राज्य के प्रमुख सांसद, विधायक, राज्य सभा सदस्य

4) शहर और प्रदेश के सभी सांसद और विधायक

5) सभी पार्टियों का शहर और प्रादेशिक राजनैतिक नेतृत्व

6) शहर और प्रदेश के सभी नगरसेवक

7) राज्य / शहर के प्रमुख नौकरशाह

8) प्रमुख नागरिक / ओपीनियन मेकर्स / ट्रेड यूनियन लीडर्स / कम्युनिटी लीडर्स / ग्रास रुट लीडर्स

9) मेडिया

2 - मास कम्यूनिकेशन (जन संपर्क)

अ)- डाक्यूमेन्टेशन (अभिलेखी करण)

ब)- जनसंपर्क माध्यम : पेंफ्लेट्स / नागरिक की हेन्डबुक / होर्डिन्गस / टी शर्ट्स / टोपीयां / बेजेज् इत्यादि।

स)- टेलीविजन सीरीज, रेडियो और समाचार पत्र विज्ञापन।

द) इलक्ट्रोनिक डेटाबेस की एक सीरीज।

इ) प्रशिक्षकों / स्वयंसेवकों और सहयोगियों के लिये ओरिएन्टेशन कार्यक्रम की एक सीरीज, तैयार शुदा टूल किरके साथ।

फ) सेमीनार्स और वर्कशाप्स की एक सीरीज।

जी) प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक कन्सल्टेशन कार्यक्रम।

एच) नुक्कड़ नाटकों की एक सीरीज

3 - सार्वजनिक जागृतिकरण

(अ) - आमसभाएं

(ब) - जनमोर्चे

(स) - जन धरने

दौड़ एक अभियान :-

इस अभियान के दौरान,इसमें भाग लेने वाले नेताओं / समूहों / नागरिकों की सामूहिक जानकारी और अनुभव के व्दारा वोटमुंबई कार्यक्रम और अधिक मजबूत बनेगा।

जब किअन्य सभी कार्यवाहियां नव / दिस में पूरी हो जाएगी, पर वृध्द समाज के लिये ओरिएन्टेशन कार्यक्रमों की सीरीज लगातार चालू रहेगा जिससे कि उपलब्ध वैध मंचों,जैसे कि एरिया सभा, के व्दारा नागरिकों में स्थानीय स्वयं-प्रशासन

कार्य के लिये क्षमता बढ़ाने के साथ उनके प्रभावपूर्ण सहभाग की निश्चितता बनेगी। पहले से तैयार टूल-किट प्रत्येक सहभागी के लिये बनाई जाएगी।

हालांकि काम हिम्मत तोड़ने वाला है लेकिन वोटमुंबई अभियान के हम सब लोगों के लिये कोई दुसरी पसंद नहीं है सिवाय इसके कि या तो इसे आगे बढ़ाएँ या फिर नागरिकों को मुसबितों और कष्टों की जिन्दगी जीते हुए देखते रहें।

मेडिया पार्टनर्स:

अभियान का कोई भी प्रिन्ट या इलेक्ट्रोनिक (टी वी,रेडियो, केबल) मेडिया साझेदार नहीं होगा। वोट मुंबई संपूर्ण मेडिया के साथ काम करेगा, जिससे कि अधिकतम नागरिकों तक पहुँचा जा सके।

जनसंपर्क की रणनीतियाँ :

अभियान जनसंपर्क रणनीतिकारों को साझेदार बनायेगा।

पी आर एजेन्सी

अभियान जनसंपर्क-रणनीतिकारों को साझेदार बनायेगा।

प्रत्युत्तर प्राप्ति यंत्रणा :

अभियान के अपने वेब -साइट और काल सेन्टर होंगे।

वोट मुंबई में कौन सहभागी हो सकता है?

मुंबई और मुंबई-महानगरीय-क्षेत्र के भारतीय नागरिकों और संगठतों में से तो वोटमुंबई के लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं, वे सहभागी, साझेदार या सहयोगी बन सकते है।

श्रेणियां

सहभागी : कोई भी व्यक्ति जो वोट मुंबई के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति हस्ताक्षर करता है और सक्रीय रुप से अभियान में सहभागी होता है।

साझेदार : कोई भी संस्था जो वोट मुंबई के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति हस्ताक्षर करती है और अभियान में सक्रीय रुप से भाग लेती है।

सहयोगी : संस्थाएँ और व्यक्ति जो लक्ष्यों में सहभागी होते है और किसी भी किस्म का या किसी भी रुप में सहयोग देकर अभियान को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं।

कोरग्रुप : कोरग्रुप के व्दारा यह अभियान संचालित होगा। यह कोरग्रुप सहभागियों और साझेसारों में से बनेगा। कोरग्रुप आवश्यकतानुसार जितने चाहे उतने सह -कोरग्रुप बना सकेगा। कोरग्रुप में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या सीमित नहीं रहेगी।

संयोजक : कोरग्रुप के अंतर्गत एक अभियान-संयोजक होगा,जो अभियान में तालमेल रखते हुए कोर ग्रुप की आज्ञाओं का पालन करेगा।

सचिवालय : कोरग्रुप अपने कार्य के बेहतर संयोजन के लिये एक सचिवालय स्थापित करेगा।

बैठकें : कोरग्रुप की बैठकें जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार बुलाई जाएगीं। स्थान और समय सभी सदस्यों की राय से संयोजक तय करेगा। कार्यवाही का सारांश तैयार करके बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को भेजा जाएगा।

संसाधनों का एकत्रीकरण : हरके सहभागी और साझेदार सदस्य अपने सहयोग का प्रकार और चँदे की राशि और उस के भुगतान का तरीका निश्चित करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

कोष : अभियान अपनी पहली पसत्य के रुप में, हर गतिविधी के लिये एक स्पोन्सोर शिप को प्रोत्साहित करेगा।

..... अभियान व्दारा आवश्यक अति न्यूनतम धनराशि जो एकत्रित की जायगी, वह एक नामाकिंत और प्रथक बैन्क असाडन्टमें जो अभियान के कार्य हेतु किसी रजिस्टर्ड साझेदार सदस्य के नाम से होगा, जो कर माफी का पात्र होगा। कोरग्रुप समय समय पर हिसाब की जांच पड़ताल और अनुमोदन करेगा।

अभियान के मार्गदर्शक सिध्दान्त

-सकारात्मक भावना :

यह विश्वास,कि वास्तविक परिवर्तन संभव है।

★ शोध : जब तक विस्तार से घर में तैयारी न करलो, सड़क पर न निकलो।

- ★ प्रभावपूर्ण जनसंपर्क : जनसंपर्क के सभी माध्यमों का उपयोग करें ताकि सभीतक पहुँचा जा सके।
- ★ समाज की शक्तिमें विश्वास : सभी कार्योंका प्रमुख स्रोत है सामुहिक-आग्रह। एक संपूर्ण समाज से आती है सामूहिक-शक्ति।
- ★ सकारात्मक कार्य संलग्नता : काम साझे की भावना से करें पर्यायी मोडूल्स बनाएँ या नियमो को बदलें।
- ★ पक्षपातहीन संस्कार : कोई राजनैतिक समध्दता नहीं।
- ★ राज नैतिक सदभावना : राजनीतज्ञ लोग विभिन्न दुश्चक्रों से पीड़ित रहते है, वे खलनायक नहीं होते।
- ★ राजनैतिक प्रक्रिया के प्रति आदर : मान्यता दें कि राजनीति प्रजातंत्र के केन्द्र में है और सच्ची राजनीति एक महान उद्योग है।
- ★ राजनैतिक पर्याय : प्रजातंत्र का कोई पर्याय बहीं है और यदि पर्याय है तो वह बेहतर प्रजातंत्र है।
- ★ उधमी-भावना : आपकी व्यक्तिगत भूमिकाएँ और जबाबदारियां आप हमेशा उच्चकोटि की प्रतिबध्दता और योग्यता के व्दारा निभाएँ।
- ★ अभियान का मूल अभिप्रांय : शासन करने की किस्म में सुधार के व्दारा जीवन की गुणवता सुधारने के लिये हम अब हर आम और खास लोगों से अचील करते हैं कि वे इस वास्तविकता को समझें,कि हमें वांछित परिवर्तनों को लाने के लिये किरने विकट प्रयत्न करना होंगे। अभियान को इस बात से आश्वस्त होना पड़ेगा कि समाज को ऐसे विषयों, जो उनके दिल के पास बहुत खास और प्रतिदिन की जीवन चर्या से संबंधित हैं, की जानकारी उन्हे सही और प्रभावपूर्ण ढंग से दी गई है। हम सभी से यह अपील करते है कि वे इस कार्य में वारे मुंबई अभियान की भरसक हर मदत करें, फिर वह मदत चाहे व्यक्तिगत सहभाग व्दारा हो, धनदान व्दारा हो या हार्दिक सदभावना हो। वोट मुंबई अभियान सिस्टम में यथाक्रम - सुधारों के विशेष प्रयोजन से चलाया जा रहा है।

अंत में यह सब प्रकट करने का, इससे अच्छा अन्य तरीका नहीं हो सकता कि यह कहा जाय- यदि मुंबई जीतता है तो कौन हारता है?

लोकसत्ता-महाराष्ट्र चेप्टर, बेस यूनिट नं.4, भायखला सर्विस इंडस्ट्रीज प्रीमाइसेज, दादोजी कोंडदेव रोड, भायखला (पूर्व) मुंबई-400027 महाराष्ट्र,भारत. फोन. 912223772242/84,

अनुवादक : ज. कु. निर्मल

■ ■ ■ ■ ■